Quest Journals
Journal of Hindi, Political Science and Home Science
Volume 14 ~ Issue 1 (Jan. – Feb. 2024) pp: 27-32
ISSN(Online) : 2347 – 2305
www.questjournals.org

Research Paper

बिहार की पंचायतों में महिला मुखिया और वार्ड सदस्यों की भूमिका: सत्ता, समाज और प्रशासन के बीच संघर्ष

डॉ राजेश कुमार पुर्वे

विश्वविद्यालय ***राजनीति विज्ञान विभाग,***
ललित नारायण मिथिला *विश्वविद्यालय,* ***दरभंगा***

सारांश

बिहार की पंचायती राज व्यवस्था में महिला मुखिया और महिला वार्ड सदस्यों की भूमिका ग्रामीण लोकतंत्र के बदलते स्वरूप को समझने का महत्त्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करती है। 73वें संविधान संशोधन ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दी और महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। बिहार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू कर महिला नेतृत्व को संस्थागत विस्तार दिया। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में महिलाएँ मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और वार्ड सदस्य के रूप में सामने आईं। परंतु सत्ता में प्रवेश और सत्ता के वास्तविक प्रयोग के बीच अभी भी गहरी दूरी दिखाई देती है। महिला मुखिया को पंचायत योजना, बजट, प्रशासनिक संवाद और विकास कार्यों की निगरानी से जुड़ना पड़ता है, जबकि वार्ड सदस्य ग्राम स्तर पर नागरिकों की प्रत्यक्ष समस्याओं, वार्ड सभा, योजनाओं की पहचान और लाभार्थी चयन से संबंधित भूमिका निभाते हैं। यह शोध-पत्र बिहार की पंचायतों में महिला मुखिया और वार्ड सदस्यों की भूमिका का विश्लेषण सत्ता, समाज और प्रशासन के त्रिकोणीय संघर्ष के संदर्भ में करता है।

मुख्य शब्द: *महिला मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायती राज, बिहार, ग्रामीण लोकतंत्र, महिला नेतृत्व, प्रशासन*

1. प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा गाँवों में होती है, जहाँ नागरिक शासन को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। पंचायती राज संस्थाएँ इस स्थानीय लोकतंत्र का संवैधानिक आधार हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और ग्रामसभा, नियमित चुनाव, वित्तीय विकेंद्रीकरण तथा आरक्षण की व्यवस्था को संस्थागत किया [1]। इस संशोधन ने महिलाओं को ग्रामीण सत्ता-संरचना में प्रवेश का वैधानिक अवसर दिया।

बिहार का अनुभव इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 में महिलाओं के लिए पंचायतों में लगभग 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी की महिलाएँ शामिल हैं [2]। पंचायती राज मंत्रालय भी बिहार को उन राज्यों में रखता है जहाँ पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिला आरक्षण राज्य अधिनियम के अंतर्गत लागू है [3]। वर्तमान में बिहार में 8053 ग्राम पंचायतें, 533

पंचायत समितियाँ और 38 जिला परिषद कार्यरत हैं, जिससे स्पष्ट है कि राज्य की पंचायती व्यवस्था बहुत व्यापक प्रशासनिक और राजनीतिक ढाँचा रखती है [4]। ePanchayat Bihar पोर्टल भी यही संरचना दर्शाता है—38 जिला परिषद, 533 पंचायत समिति और 8053 ग्राम पंचायतें [5]।

राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला प्रतिनिधित्व का विस्तार उल्लेखनीय है। भारत सरकार के अनुसार देश में पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 14.5 lakh निर्वाचित महिला प्रतिनिधि कार्यरत हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% हैं [6]। यह आँकड़ा बताता है कि महिलाएँ ग्रामीण लोकतंत्र में केवल मतदाता नहीं रहीं, बल्कि शासन-प्रक्रिया की विधिक सहभागी बन चुकी हैं।

2. अध्ययन का उद्देश्य और पद्धति

इस अध्ययन का उद्देश्य बिहार की पंचायतों में महिला मुखिया और वार्ड सदस्यों की भूमिका का राजनीतिक विश्लेषण करना है। अध्ययन विशेष रूप से तीन प्रश्नों पर केंद्रित है—पहला, महिला मुखिया और वार्ड सदस्यों की वास्तविक प्रशासनिक भूमिका क्या है; दूसरा, वे सत्ता, समाज और प्रशासन के बीच किन संघर्षों का सामना करती हैं; और तीसरा, उनके नेतृत्व को प्रभावी बनाने के लिए किन नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है।

यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इसमें संविधान, बिहार पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज मंत्रालय, बिहार पंचायती राज विभाग, ePanchayat Bihar, महिला नेतृत्व से जुड़े अकादमिक अध्ययन और ग्रामीण शासन से संबंधित शोध-साहित्य का उपयोग किया गया है। विश्लेषण की पद्धति वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक और संस्थागत-राजनीतिक है।

3. बिहार पंचायती राज में महिला प्रतिनिधित्व का संस्थागत आधार

बिहार में ग्राम पंचायत ग्रामीण शासन की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई है। ग्राम पंचायत के भीतर मुखिया पंचायत का निर्वाचित प्रमुख होता है, जबकि वार्ड सदस्य प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। मुखिया पंचायत स्तर पर योजना, विकास कार्य, ग्रामसभा, वित्तीय अनुशंसा और प्रशासनिक समन्वय से जुड़ा होता है। दूसरी ओर वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत के भीतर सबसे छोटे प्रतिनिधिक स्तर पर कार्य करता है, जहाँ नागरिकों की प्रत्यक्ष समस्याएँ—नाली, सड़क, पेयजल, शौचालय, पेंशन, राशन, आवास और स्थानीय विवाद—उसके सामने आती हैं।

तालिका 1: बिहार पंचायती राज संस्थाओं का संरचनात्मक विवरण

संस्था	संख्या	राजनीतिक-प्रशासनिक महत्त्व
जिला परिषद	38	जिला स्तर पर योजना, निगरानी और नीति समन्वय
पंचायत समिति	533	प्रखंड स्तर पर विकास योजनाओं का समन्वय
ग्राम पंचायत	8053	ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन
महिला आरक्षण	लगभग 50%	महिला नेतृत्व का संस्थागत विस्तार

बिहार में 50% आरक्षण ने महिला प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाया है, परंतु इस प्रतिनिधित्व का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि महिला प्रतिनिधि निर्णय-प्रक्रिया में कितनी सक्रिय हैं। महिला मुखिया और महिला वार्ड सदस्य दोनों अलग-अलग स्तरों पर लोकतंत्र को संचालित करती हैं। मुखिया पंचायत की औपचारिक सत्ता का प्रतीक है, जबकि वार्ड सदस्य स्थानीय समाज की प्रत्यक्ष आवाज होता है।

4. महिला मुखिया की भूमिका: सत्ता और उत्तरदायित्व

महिला मुखिया की भूमिका पंचायत की राजनीतिक और प्रशासनिक धुरी के रूप में देखी जा सकती है। मुखिया ग्रामसभा की बैठक, पंचायत विकास योजना, स्थानीय संसाधनों के उपयोग, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय अधिकारियों से समन्वय में केंद्रीय भूमिका निभाती है। पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करना, योजनाओं को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाना और लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया में मुखिया का महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहता है।

महिला मुखिया की उपस्थिति पंचायत की प्राथमिकताओं को बदल सकती है। चट्टोपाध्याय और डूफ्लो के अध्ययन में यह पाया गया कि महिला नेतृत्व वाली पंचायतें स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं, विशेषकर पेयजल और बुनियादी सुविधाओं पर अलग ढंग से ध्यान देती हैं [7]। बिहार के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में यह निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि जल, सड़क, आंगनवाड़ी, विद्यालय, पोषण और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे महिलाओं के दैनिक जीवन से गहराई से जुड़े हैं।

फिर भी महिला मुखिया की सत्ता निर्विघ्न नहीं होती। कई बार उन्हें "मुखिया पति", परिवार, स्थानीय प्रभावशाली समूहों, ठेकेदारों, जातिगत दबावों और प्रशासनिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। पद महिला के नाम पर होता है, किंतु निर्णय पुरुष रिश्तेदार या स्थानीय समूह लेने का प्रयास करते हैं। यह स्थिति महिला नेतृत्व को प्रतीकात्मक बना देती है। वास्तविक नेतृत्व तभी संभव है जब महिला मुखिया बजट, योजना, अभिलेख, तकनीकी स्वीकृति और प्रशासनिक पत्राचार को स्वयं समझे और निर्णय लेने में सक्रिय रहे।

5. महिला वार्ड सदस्यों की भूमिका: समाज की निचली आवाज

वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत की सबसे निकटतम प्रतिनिधिक इकाई है। मुखिया जहाँ पंचायत-स्तर की सामूहिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं वार्ड सदस्य अपने वार्ड के घर-घर से जुड़ा प्रतिनिधि होता है। महिला वार्ड सदस्य की भूमिका इसलिए विशेष महत्त्व रखती है क्योंकि वह ग्रामीण महिलाओं, गरीब परिवारों, दलित बस्तियों, पिछड़े समुदायों और स्थानीय समस्याओं को पंचायत तक पहुँचाने का माध्यम बनती है।

महिला वार्ड सदस्य वार्ड सभा, लाभार्थी चयन, स्थानीय शिकायत, बुनियादी सुविधा और योजना निगरानी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वार्ड में पेयजल की कमी है, नाली जाम है, सड़क टूटी है, आंगनवाड़ी निष्क्रिय है या विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वार्ड सदस्य इन मुद्दों को ग्राम पंचायत के सामने ला सकती है। इस अर्थ में वार्ड सदस्य लोकतंत्र की "सूक्ष्म इकाई" है।

परंतु वार्ड सदस्यों के सामने कई सीमाएँ भी हैं। उनके पास मुखिया जैसी औपचारिक वित्तीय शक्ति नहीं होती। वे कई बार पंचायत निर्णयों में उपेक्षित रहती हैं। यदि मुखिया और वार्ड सदस्य के बीच समन्वय अच्छा नहीं है, तो वार्ड की समस्याएँ पंचायत योजना में शामिल नहीं हो पातीं। महिला वार्ड सदस्यों के मामले में यह स्थिति और जटिल हो जाती है, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक बोलने, बैठक में भाग लेने और प्रशासनिक भाषा समझने में अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

6. सत्ता, समाज और प्रशासन के बीच संघर्ष

बिहार की पंचायतों में महिला मुखिया और वार्ड सदस्यों का संघर्ष तीन स्तरों पर दिखाई देता है—सत्ता का संघर्ष, समाज का संघर्ष और प्रशासन का संघर्ष।

सत्ता का संघर्ष पंचायत के भीतर होता है। मुखिया, उपमुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, स्थानीय ठेकेदार और प्रभावशाली ग्रामीण समूहों के बीच संसाधन, योजना और श्रेय को लेकर तनाव रहता है। महिला मुखिया यदि स्वतंत्र निर्णय लेना चाहती है, तो उसे स्थानीय सत्ता समूहों का विरोध झेलना पड़ सकता है। महिला वार्ड सदस्य यदि अपने वार्ड के लिए संसाधन मांगती है, तो उसे पंचायत के भीतर सीमित महत्व दिया जा सकता है।

समाज का संघर्ष पितृसत्ता, जाति और वर्ग से जुड़ा है। ग्रामीण समाज में महिला नेतृत्व को आज भी कई स्थानों पर "असामान्य" माना जाता है। दलित, पिछड़ी या गरीब महिला प्रतिनिधि को जातिगत और आर्थिक आधार पर भी चुनौती मिलती है। बीमन आदि के अध्ययन ने दिखाया कि महिला नेतृत्व का दृश्य प्रभाव सामाजिक धारणाओं और लड़कियों की आकांक्षाओं को बदल सकता है [8]। इसलिए महिला मुखिया और वार्ड सदस्य की सक्रियता केवल प्रशासनिक घटना नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया भी है।

प्रशासन का संघर्ष कागजी प्रक्रिया, डिजिटल प्रणाली, वित्तीय नियमों और विभागीय समन्वय से जुड़ा है। आज पंचायत कार्यों में eGramSwaraj, ऑनलाइन भुगतान, योजना पोर्टल, अभिलेख और निरीक्षण रिपोर्ट का महत्त्व बढ़ गया है। कम शिक्षित या डिजिटल रूप से कम प्रशिक्षित महिला प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में पंचायत सचिव, कंप्यूटर ऑपरेटर या पुरुष परिजनों पर निर्भर हो जाती हैं। इस निर्भरता से उनकी स्वायत्तता घटती है।

तालिका 2: महिला मुखिया और वार्ड सदस्यों के संघर्ष के प्रमुख आयाम

संघर्ष का आयाम	महिला मुखिया पर प्रभाव	महिला वार्ड सदस्य पर प्रभाव
सत्ता-संघर्ष	निर्णय पर स्थानीय प्रभुत्वशाली समूहों का दबाव	वार्ड मुद्दों की उपेक्षा
सामाजिक संघर्ष	"मुखिया पति" और पितृसत्तात्मक नियंत्रण	बैठक में बोलने की झिझक और सामाजिक दबाव
जाति-वर्ग संघर्ष	वंचित समुदाय की महिला मुखिया पर अतिरिक्त दबाव	दलित/गरीब वार्डों की आवाज कमजोर
प्रशासनिक संघर्ष	बजट, योजना और तकनीकी स्वीकृति की जटिलता	जानकारी और दस्तावेजी पहुँच की कमी
डिजिटल संघर्ष	ऑनलाइन प्रक्रियाओं में निर्भरता	पोर्टल आधारित निगरानी से दूरी

7. महिला नेतृत्व और ग्रामसभा

ग्रामसभा पंचायती राज की लोकतांत्रिक आत्मा है। यदि ग्रामसभा सक्रिय है तो मुखिया और वार्ड सदस्य दोनों जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। महिला मुखिया के लिए ग्रामसभा वह मंच है जहाँ वह पंचायत विकास योजना, संसाधन आवंटन और स्थानीय प्राथमिकताओं पर सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कर सकती है। महिला वार्ड सदस्य के लिए ग्रामसभा अपने वार्ड की समस्याओं को सामूहिक रूप से उठाने का मंच है।

समस्या यह है कि ग्रामसभा कई बार औपचारिकता बन जाती है। महिलाओं की उपस्थिति कम होती है, समय और स्थान उनके अनुकूल नहीं होता, और निर्णय पहले से तय कर लिए जाते हैं। ऐसे में महिला प्रतिनिधित्व का लोकतांत्रिक प्रभाव सीमित हो जाता है। ग्रामसभा में महिलाओं, दलितों, गरीबों और अल्पसंख्यक समूहों की वास्तविक भागीदारी बढ़े बिना पंचायतों में समावेशी लोकतंत्र संभव नहीं है।

8. उपलब्धियाँ और सीमाएँ

बिहार की पंचायतों में महिला मुखिया और वार्ड सदस्यों की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने ग्रामीण सत्ता में महिलाओं की सार्वजनिक उपस्थिति को सामान्य बनाया है। आज गाँवों में महिलाएँ चुनाव लड़ती हैं, जनसंपर्क करती हैं, पंचायत बैठक में बैठती हैं और सरकारी अधिकारियों से संवाद करती हैं। यह परिवर्तन लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

दूसरी उपलब्धि विकास प्राथमिकताओं में बदलाव है। महिला प्रतिनिधि सामान्यतः पेयजल, सड़क, विद्यालय, स्वास्थ्य, पोषण, आंगनवाड़ी, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता देती हैं। तीसरी उपलब्धि राजनीतिक आकांक्षा का विस्तार है। जब गाँव की महिला मुखिया या वार्ड सदस्य सार्वजनिक मंच पर बोलती है, तो वह अन्य महिलाओं और लड़कियों के लिए भी राजनीतिक संभावना निर्मित करती है।

इसके बावजूद सीमाएँ बनी हुई हैं। प्रॉक्सी नेतृत्व, प्रशासनिक निर्भरता, डिजिटल ज्ञान की कमी, पंचायत सचिवों पर अत्यधिक निर्भरता, जातिगत दबाव, स्थानीय भ्रष्टाचार, वित्तीय अधिकारों की अस्पष्टता और ग्रामसभा की कमजोरी महिला नेतृत्व को सीमित करती हैं। इसलिए प्रतिनिधित्व को वास्तविक शक्ति में बदलने के लिए संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं।

9. नीति सुझाव

महिला मुखिया और वार्ड सदस्यों को प्रभावी बनाने के लिए पहला कदम नियमित, व्यवहारिक और स्थानीय भाषा आधारित प्रशिक्षण होना चाहिए। यह प्रशिक्षण केवल औपचारिक न होकर योजना निर्माण, बजट पढ़ने, ग्रामसभा संचालन, अभिलेख समझने, डिजिटल पोर्टल उपयोग और शिकायत निवारण पर केंद्रित होना चाहिए।

दूसरा, प्रत्येक प्रखंड में महिला पंचायत प्रतिनिधि सहायता केंद्र बनाया जाना चाहिए। तीसरा, महिला वार्ड सदस्यों को पंचायत योजना निर्माण में अनिवार्य भूमिका दी जानी चाहिए, ताकि वार्ड स्तर की समस्याएँ ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल हों। चौथा, ग्रामसभा की सूचना, समय और स्थान महिलाओं के अनुकूल बनाए जाएँ। पाँचवाँ, प्रॉक्सी नेतृत्व पर प्रशासनिक निगरानी हो और बैठक में निर्वाचित प्रतिनिधि की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। छठा, डिजिटल साक्षरता अभियान पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अनिवार्य किया जाए। सातवाँ, महिला मुखिया और वार्ड सदस्यों के बीच नियमित समन्वय बैठक होनी चाहिए, ताकि पंचायत सत्ता केवल मुखिया-केंद्रित न रहे।

तालिका 3: सुधारात्मक नीति-ढाँचा

समस्या	सुधारात्मक उपाय	अपेक्षित परिणाम
प्रॉक्सी नेतृत्व	निर्वाचित प्रतिनिधि की अनिवार्य उपस्थिति	वास्तविक निर्णय-क्षमता
प्रशिक्षण की कमी	मॉड्यूल आधारित प्रशिक्षण	प्रशासनिक दक्षता
वार्ड मुद्दों की उपेक्षा	वार्ड-वार योजना सूची	संतुलित विकास
डिजिटल निर्भरता	पंचायत डिजिटल प्रशिक्षण	स्वायत्त कार्यक्षमता
ग्रामसभा की कमजोरी	महिला-अनुकूल ग्रामसभा	सामाजिक उत्तरदायित्व
मुखिया-वार्ड तनाव	नियमित समन्वय बैठक	सहयोगी पंचायत शासन

10. निष्कर्ष

बिहार की पंचायतों में महिला मुखिया और वार्ड सदस्यों की भूमिका ग्रामीण लोकतंत्र के सामाजिक विस्तार का महत्त्वपूर्ण संकेत है। महिला मुखिया पंचायत सत्ता की औपचारिक धुरी है, जबकि महिला वार्ड सदस्य नागरिकों की प्रत्यक्ष आवाज है। दोनों मिलकर पंचायत शासन को अधिक सहभागी, संवेदनशील और सामाजिक रूप से उत्तरदायी बना सकती हैं। परंतु यह तभी संभव है जब उनका प्रतिनिधित्व प्रतीकात्मक न रहकर वास्तविक निर्णय-क्षमता में बदले।

सत्ता, समाज और प्रशासन के बीच महिला प्रतिनिधियों का संघर्ष बिहार के ग्रामीण लोकतंत्र की गहरी संरचनात्मक चुनौतियों को उजागर करता है। आरक्षण ने महिलाओं को प्रवेश दिया है, किंतु वास्तविक सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण, प्रशासनिक सहयोग, डिजिटल क्षमता, ग्रामसभा सक्रियता और सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है। बिहार का अनुभव यह बताता है कि महिला नेतृत्व केवल महिला प्रश्न नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता, सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास की दिशा से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

संदर्भ सूची

1. **भारत सरकार। *भारत का संविधान: 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992.* नई दिल्ली: भारत सरकार, 1992।**
2. **बिहार सरकार। *बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006.* पटना: बिहार सरकार, 2006।**
3. **पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार। "स्टेट पंचायती राज एक्ट्स/रूल्स/रेगुलेशन्स." नई दिल्ली, 2024।**
4. **पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार। "बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की वर्तमान संरचना." पटना, 2026।**
5. **ई-पंचायत बिहार। "पंचायती राज इंस्टिट्यूशनल डैशबोर्ड." पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, 2026।**
6. **प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार। "गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन पंचायती राज इंस्टिट्यूशन्स." नई दिल्ली, 2025।**
7. **आर. चट्टोपाध्याय एवं ई. डुफ्लो। "वीमेन ऐज़ पॉलिसी मेकर्स: एविडेंस फ्रॉम अ रैंडमाइज़्ड पॉलिसी एक्सपेरिमेंट इन इंडिया," *इकोनोमेट्रिका*, खंड 72, संख्या 5, पृ. 1409–1443, 2004।**
8. **एल. बीमन, ई. डुफ्लो, आर. पांडे एवं पी. टोपलोवा। "फीमेल लीडरशिप रेज़ेज़ एस्पिरेशन एंड एजुकेशनल अटेनमेंट फॉर गर्ल्स: अ पॉलिसी एक्सपेरिमेंट इन इंडिया," *साइंस*, खंड 335, संख्या 6068, पृ. 582–586, 2012।**